झारखण्ड सरकार

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड

श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड

# "प्रधानमंत्री कुसुम कम्पोनेंट–ए योजना" विकेन्द्रीकृत ग्राउण्ड माउनटेड ग्रिड कनेक्टेड गैर पारंपरिक सौर ऊर्जा संयत्र के अधिष्ठापन हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, **प्रधानमंत्री कुसुम कम्पोनेंट–ए योजना के अंतर्गत** सौर ऊर्जा से जुड़ा ऊर्जा संयत्र स्थापित करने के लिए बंजर/ अनुपजाऊ जमीन के अधिसूचित करने हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) द्वारा ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करता है। वैसे किसान / किसानों का समूह / सहकारी समितियां /पंचायत/ किसान उत्पादक संगठन (फार्मर प्रोड्यूसर्स आर्गेनाईजेशन) और जल उपयोगकर्ता संघ (वाटर यूजर्स एसोसिएशन), जो अपने बंजर/ अनुपजाऊ जमीन पर सौर ऊर्जा से जुड़ा विकेन्द्रीकृत ग्राउण्ड माउनटेड ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयत्र अधिस्थापित कर अतिरिक्त आय की ईच्छा रखते हो, वे अभिरूचि की अभिव्यक्ति में शामिल हो सकते हैं।

**योजना के मुख्य बिन्दु :–**

- भूमि मालिक 500 किलोवाट से 02 मेगावाट क्षमता तक सौर ऊर्जा संयत्र का अधिष्ठापन स्वंय की पूँजी अथवा पट्टे / लीज के माध्यम से कर सकते है।
- झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा वैसे 33/11 के0भी0 ग्रामीण विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों की सूची को www.jbvnl.co.in पर अधिसूचित कर दिया गया है, जिसके आस–पास सौर ऊर्जा संयत्र का अधिष्ठापन किया जाना है। यद्यपि www.jbvnl.co.in पर अधिसूचित विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों के अतिरिक्त दूसरे 33/11 के0भी0 ग्रामीण विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों के लिए कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो वैसे स्थिति में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की अनुशंसा अनिवार्य होगी।
- भूमि मालिक, www.jbvnl.co.in पर अधिसूचित किसी एक 33/11 के0भी0 ग्रामीण विद्युत शक्ति उपकेन्द्र में एक सौर ऊर्जा संयत्र का अधिष्ठापन के लिए पात्र होगा। एक ही 33/11 के0भी0 ग्रामीण विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के लिए भूमि मालिक का एक से अधिक आवेदन करने की स्थिति मे, सिर्फ एक आवेदन ही स्वीकार्य होगा। हालाकि एक आवेदक / भूमि मालिक एक से अधिक विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों के लिए आवेदन दे सकता है। एक से अधिक विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों पर सौर ऊर्जा संयत्र लगाने हेतु अलग–अलग आवेदन जमा करना होगा।
- इच्छुक भूमि मालिक / किसान अपना आवदेन निर्धारित प्रपत्र जो www.jbvnl.co.in पर उपलब्ध है उसे डाऊनलोड कर और उसे भरकरं संबंधित कागजात कार्यालय के ई–मेल **pmkusum.jbvnl@gmail.com** के माध्यम से स्वंय अथवा अपने भूमि के नजदीक स्थित या 33/11 के0भी0 ग्रामीण विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों से संबंधित सहायक विद्युत अभियंता से सहयोग लेकर दिनांक 10/03/2021 से 12/04/2021 तक अपना आवेदन भेज सकते हैं।
- झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, इच्छुक आवेदक द्वारा **pmkusum.jbvnl@gmail.com** में जमा आवेदनों पर दी गई जानकारी, भूमि का सत्यापन सहित सभी पहलुओं पर विस्तृत जॉंचोपरांत निगम के वेबासाईट www.jbvnl.co.in पर सौर ऊर्जा से जुड़ा ऊर्जा संयत्र का अधिष्ठापन हेतु जमीन की सूची को अधिसूचित करेगा।
- झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा अधिसूचित भूमि पर सौर ऊर्जा संयत्र अधिष्ठापन हेतु निविदा प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम0एन0आर0ई0) द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुरूप होगा।
- निविदा प्रक्रिया का अधिकतम क्रय दर रू0 3.09 प्रति यूनिट होगा।

**सौर ऊर्जा से जुड़ा ऊर्जा संयत्र का अधिष्ठापन हेतु भूमि संबंधी विवरणी संग्रहित करने हेतु अर्हता निम्नलिखित है:–**

| ब्यौरा | मानदंड |
|---|---|
| जमीन का प्रकार | बंजर / अनुपजाऊ भूमि |
| प्रस्तावित भूमि | अधिसूचित 33/11 के0भी0 ग्रामीण विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों से 5 कि0मी0 के दायरे में स्थित होगा। |
| भूमि क्षेत्र की आवश्यकता | 04 से 06 एकड़ प्रति मेगावाट (भौगोलिक स्थिति के आधार पर) । |
| भूमि सत्यापन हेतु वांछित कागजात | पैन कार्ड, अधार कार्ड, जमाबंदी की प्रति,खतियान की प्रति, संबंधित भूमि का अंचल अधिकारी द्वारा प्रमाणित कुरसीनामा/प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का विवाद न होने का स्व प्रमाणित घोषणपत्र इत्यादि। |

ह0/–

महाप्रबंधक (वाणिज्य),झा0बि0वि0नि0लि0

विस्तृत जानकारी के लिए : **www.jbvnl.co.in** Email: pmkusum.jbvnl@gmail.com Contact : GM (Commercial), JBVNL Mob.- 9431708983